

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०- 74/2018


तारीख रजु- 25.06.2018

निर्णय दिनांक-

उपनाम- मोहरबाई बनाम कैलाश

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188

दिनांक	कार्य अहकाम
25.06.2018	<p>वादी की और से श्री राममरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 20.07.2018 को को पेश हो।</p>
	 <p>उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>
	<p>20.7.18 वादी वकील उपर प्रतिवादी नं. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18 अगुड सुनना उपर नहीं है। प्रतिवादी नं. 11 के कौत हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रतिवादी नं. 2, 3, 4, 15, 16 के सम्मन सुदुरात चले जाने से इनका बाकील प्राप्त हुए की P.O. शा. बाहर मगोर की आर्डर दि. 17.8.18 को पेश हो।</p>
	<p>9.8.8 वादी वकील की द. पर पत्रावली तथा वकील की वादी वकील ने द. पेश की है कि प्रकर में राजीनामा हो चुका है। मुकदमा आगे चलता नहीं चले है मुकदमा का खारिज कर दिया जाये। वादी वकील की द. व कफन पर पत्रावली Not Press में खारिज किया जाय। पत्रावली के लिये शुमार होकर आवेष्टि पर होकर दारिद्र्य दफत हो।</p>

2292-2509
25/6/18

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

मु० न० 67/2018

तारीख रजु-